

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-580 / 2012संस्थित दिनांक-27.07.12

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

1. राजकुमार पुत्र राजाराम कुशवाह उम्र 30 साल

2. रामबाबू पुत्र राजाराम कुशवाह उम्र 41 साल

3. सुक्खी पुत्र राजाराम कुशवाह उम्र 28 साल

निवासी ग्राम बिरखडी, थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0

हाल नारायणपुरा, कांच का मंदिर चाणक्यपुरी

अहमदाबाद

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 25.10.17 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 325, 325/34 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 24.02.12 को 9 बजे या उसके लगभग इंदिरा कालोनी पीला गढा ग्राम बिरखडी स्थित फरियादी कमलेश कुशवाह के घर के आगे सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी कमलेश के पिता नादरी प्रसाद की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में रामबाबू ने डण्डे से नादरी की मारपीट कर उसे स्वेच्छा उपहति कारित की तथा शेष अभियुक्तगण ने उसका सहयोग किया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 24.02.12 को फरियादी कमलेश निमंत्रण में गांव में गया था, उसके पिता नादरी प्रसाद कुशवाह घर में थे। शाम को अभियुक्तगण जो कि फरियादी के मामा के लडके हैं, उसके घर आना जाना था और पत्नी से बातचीत करते थे। अभियुक्त राजकुमार के फरियादी की पत्नी सरोज से संबंध थे। उक्त दिनांक को जब अभियुक्तगण आए और सरोज उनके साथ जाने लगी तो फरियादी के पिता द्वारा रोका तब अभियुक्त रामबाबू ने

पिता के कंधे में डण्डा मारा जिससे चोट आई और सरोज अभियुक्तगण के साथ चली गयी। उक्त आशय की लिखित आवेदन से रोजनामचा सान्हा में प्राप्ति की गयी। आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। प्राथमिक अनुसंधान उपरांत अप0क0 47/12 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा रंजिशन झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या दिनांक 24.02.12 को रात 9 बजे आहत नादरी प्रसाद को शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति ?
2. क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक, समय व इंदिरा कालोनी पीला गढा ग्राम विरखडी स्थित फरियादी कमलेश कुशवाह के घर के आगे सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी कमलेश के पिता नादरी प्रसाद की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में रामबाबू ने डण्डे से नादरी की मारपीट कर उसे स्वेच्छा उपहति कारित की तथा शेष अभियुक्तगण ने उसका सहयोग किया ?

### -:: सकारण निष्कर्ष ::-

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में नादरी अ0सा0 1, कमलेश कुशवाह अ0सा0 2, रेनाबाई अ0सा0 3, डा0 विमलेश गौतम अ0सा0 4, प्र0आर0 गोपसिंह अ0सा0 5 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्तगण की ओर से बचाव में सरोज ब0सा0 1 को परीक्षित कराया गया है।

### // विचारणीय प्रश्न कमांक1 का सकारण निष्कर्ष //

6. नादरी प्रसाद अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि उनके साक्ष्य दिनांक 13.07.16 से करीब चार साल पहले रात के करीब 9 बजे की घटना हैं। उनका लडका कमलेश गांव में निमंत्रण खाने गया था। आरोपीगण उसके घर आए तो उसने पूछा कि मेरे घर क्यों आए हो तो अभियुक्त सुक्खी व राजकुमार ने हाथ पकड़ लिया और रामबाबू ने लाठी मारी जो एक लाठी कठलारी (कंधे) में लगी और एक लाठी पीछे लगी, वह बेहोश हो गया। साक्षी यह कथन करता है कि अभियुक्तगण उसकी बहू सरोज को अपने साथ ले गए फिर पुत्र कमलेश उसे थाने पर ले गया और पुलिस ने उसके और पत्नी के बयान लिए और डाक्टरी कराई थी। साक्षी अभिसाक्ष्य में मुख्य परीक्षण

में उसके कंधे एवं पीठ में चोट आना तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में शरीर में कुल तीन चोटें आने का कथन करते हैं। घटना के समय पत्नी एवं बहू सरोज मौके पर उपस्थित होना बताते हैं।

7. प्रकरण में रेनाबाई अ0सा0 3, जो आहत नादरी की पत्नी एवं फरियादी कमलेश की माँ हैं, यह कथन करती हैं कि घटना चार साल पूर्व की है। आरोपीगण ने उसकी बहू सरोज की बात को लेकर झगडा किया था। आरोपीगण बहू सरोज के पास आते रहते थे। एक दिन आरोपीगण बहू को ले जाने लगे। जब उसका लडका कमलेश निमंत्रण हेतु गया था तब अभियुक्तगण आए, पति नादरी ने मना किया तो उसे लाठी से मारा जिससे कंधे की हड्डी टूट गयी थी। यह कथन करती है कि दो आरोपीगण ने पकड़ लिया और रामबाबू ने लाठी मारी। कमलेश अ0सा0 2 फरियादी है किन्तु आहत नादरी अ0सा0 1 एवं रेनाबाई अ0सा0 2 के कथन के अनुसार वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। कमलेश अ0सा0 2 भी यही कथन करता है कि वह निमंत्रण खाने गया था। जब घर पहुंचा तो रोयापीटी हो रही थी। जब उसने अपने पिता से पूछा तो पिता ने बताया कि अभियुक्तगण ने मारपीट की और राजकुमार बहू को ले गया। इसके बाद वह घटना की रिपोर्ट पुलिस को की थी। साक्षी सूचक प्रश्नों में स्वीकार करता है कि उसके पिता के बाएं कंधे की हड्डी टूट गयी थी।

8. गोपसिंह अ0सा0 5 यह कथन करते हैं कि दिनांक 25.02.12 को थाना गोहद चोराहा में उन्हें फरियादी कमलेश द्वारा लेखीय आवेदन प्र0पी0 2 प्रस्तुत किया था जिसकी जांच के उपरांत जांच रिपोर्ट प्रपी0 7 तैयार की थी। इस प्रकार से यह साक्षी अभिकथित घटना के अगले दिन 25.02.12 को फरियादी कमलेश के कथन के समर्थन प्र0पी0 2 का लिखित आवेदन प्रस्तुत किए जाने की पुष्टि करते हैं। चिकित्सक डा0 विमलेश गौतम अ0सा0 4 यह कथन करती है कि दिनांक 25.02.12 को वे सीएचसी गोहद में पदस्थ थी। उक्त दिनांक को थाना गोहद चोराहा के आरक्षक मेघसिंह द्वारा लाए जाने पर उन्होंने आहत नादरी प्रसाद का चिकित्सीय परीक्षण किया था जिसमें एक छिला हुआ घाव 2.5 सेमी0 गोलाई में जिसके 2 इंच गोलाई में सूजन थी जो बाएं कंधे पर सख्त व भौथरी वस्तु से पहुंचाया जाना प्रतीत हो रहा था जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी थी। आहत द्वारा पीठ में चोट बताई गयी थी लेकिन उन्होंने आहत की पीठ में कोई चोट नहीं पाई थी। चिकित्सीय परीक्षण से 24 घण्टे के भीतर की चोट होने के संबंध में अपनी सुसंगत राय देते हुए परीक्षण रिपोर्ट प्रपी0 5 बताकर उस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। प्र0पी0 5 की रिपोर्ट दिनांक 25.02.12 को शाम 4 बजे किए जाने का तथ्य लेख है जिससे 24 घण्टे की अवधि के भीतर घटना का समय आवृत होता है।

9. डा0 विमलेश गौतम अ0सा0 4 यह भी कथन करती हैं कि आहत नादरी का एक्सरे परीक्षण किया गया था। एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर न होना बताती है किन्तु उस पर डा0 आर0 विमलेश के हस्ताक्षर होने के तथ्य की पुष्टि करती है साथ ही एक्सरे प्लेट के आधार पर बाएं

क्लेवीकल हड्डी में अस्थिभंग पाए जाने के संबंध में समर्थन करती हैं। प्रकरण में चिकित्सक को अभियुक्त की ओर से यह सुझाव दिया गया कि अभिकथित आहत को आई चोट साईकिल पर गिरने से आना संभव है, जबकि स्वयं आहत नादरी प्रसाद से प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में सुझाव दिया गया कि अपाहिज होने के कारण वह गिर गया था इस कारण से उसके शरीर पर चोटें आई थी। प्र0पी0 5 व 6 की चिकित्सीय परीक्षण एवं एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आहत को अभिकथित घटना दिनांक 24.02.12 को शरीर पर चोट होने की अभिपुष्टि की गयी है। उक्त रिपोर्ट चिकित्सक द्वारा पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादित किए जाने के कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के अधीन सुसंगत होते हुए 114 ड के अधीन खण्डन के अभाव में अविश्वास का कोई आधार नहीं दर्शाती है। साथ ही स्वयं अभियुक्तगण की ओर से घटना दिनांक को आहत नादरी प्रसाद को शरीर पर चोट न होने के संबंध में कोई खण्डन नहीं कराया गया, बल्कि उसे आई चोट स्वयं अपने सुझाव में स्वीकार की है। इस प्रकार से यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि दि0 24.02.12 को आहत नादरी प्रसाद को सुसंगत घटना के समय शरीर पर चोट मौजूद थी जिसमें एक चोट बाएं कंधे की क्लेवीकल अस्थि में अस्थिभंग के रूप में मौजूद थी। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना है कि क्या आहत को आई चोट अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छा कारित की गयी ?

### // विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का सकारण निष्कर्ष //

8. आहत नादरी अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन करते हैं कि जब उसका लडका कमलेश गांव में निमंत्रण खाने गया था तब अभियुक्तगण उसके घर पर आए और जब उसने पूछा कि उसके घर क्यों आए हो तो सुख्खी और राजकुमार ने हाथ पकड़ लिए तथा रामबाबू ने लाठी मारी जो एक लाठी कठलारी अर्थात् कंधे में और एक लाठी पीछे लगी। घटना की साक्षी रैनाबाई अ0सा0 3 भी इसी तथ्य की पुष्टि करती है कि जब अभियुक्तगण उनके घर आए तो पति नादरी ने मना किया तो उसे लाठी मारी जिससे कंधे की हड्डी टूट गयी। यह स्पष्ट करती हैं कि तीनों आरोपीगण में से दो आरोपीगण ने हाथ पकड़ लिए और अभियुक्त रामबाबू ने लाठी मारी थी। कमलेश अ0सा0 2 यद्यपि चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं किन्तु निमंत्रण से लौटकर आने पर घर में पिता से पूछने पर अभियुक्तगण द्वारा लाठी मारने के संबंध में तथ्य पता चलने की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार से अभियोजन के तीनों साक्षीगण अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय निर्मितकर दो अभियुक्त सुख्खी एवं रामकुमार द्वारा हाथ पकड़ लेने तथा रामबाबू द्वारा लाठी मारने के संबंध में पुष्टि करते हैं।

9. प्रकरण में घटना के संबंध में लिखित आवेदन प्र0पी0 2 थाना गोहद चौराहा में दिए जाने के संबंध में कमलेश अ0सा0 2 कथन करते हैं। नादरी अ0सा0 1 कमलेश के साथ थाने जाना बताते हैं और यही बात रैनाबाई अ0सा0 3 भी बताती है। गोपसिंह अ0सा0 5 दिनांक 25.02.12 को फरियादी कमलेश द्वारा प्र0पी0 2 के लिखित आवेदन को प्रस्तुत किए जाने तथा जांच किए जाने के संबंध में



कथन करते हैं। इस प्रकार से यह तथ्य भलीभांति समर्थित है कि घटना दिनांक 24.02.13 के संबंध में फरियादी कमलेश द्वारा अगले दिन थाना गोहद चौराहा में रिपोर्ट की थी।

10. प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन साक्षी सरोज जिसे अभियोजन ने परीक्षित नहीं कराया, उसे साक्ष्य में समर्थन में प्रस्तुत किया। उक्त साक्षी को आहत नादरी अ0सा0 1 एवं रैनाबाई अ0सा0 3 के द्वारा घटनास्थल पर मौजूद होना बताया गया है। साक्षी यह कथन करती है कि वह अभियुक्त राजकुमार के साथ लगभग 5 साल से रह रही है और राजकुमार के साथ विदा कराके अपनी मर्जी से रह रही है। यह भी कथन करती है कि उसे व उसकी लड़कियों को जो कमलेश से पैदा हुई हैं, उनको राजकुमार अच्छे से आज भी रखता है। उसकी विदा कमलेश कुशवाह के साथ हुई थी जिसमें उसने साक्षी के भाई से कहा था कि वह साक्षी को अच्छे से रखेगा और भरण पोषण करेगा, फिर कमलेश उसकी विदा कराके ले आया था। वह कमलेश के साथ कुछ समय तक अच्छे से रही फिर कमलेश उसकी मारपीट करने लगा व शराब पीकर आने लगा और उसे चार-चार दिन तक खाना नहीं देता था तथा खाना मांगती थी तो मारपीट करता था। कमलेश से उसे एक लड़की पैदा हुई थी। कमलेश के पिता नादरी तथा माँ रैनाबाई बहुत परेशान करते थे, खाना नहीं देते थे। दिनांक 24.02.12 को उसे पहने हुए कपड़ों में खाली हाथ घर से निकाल दिया, फिर उसने अभियुक्त राजकुमार के साथ शादी कर ली जो उसे खिलाता है व अच्छे से परवरिश करता है। जबकि उसने अपनी मर्जी से राजकुमार के साथ शादी की है। इसी रंजिश ने कमलेश ने अभियुक्तगण के विरुद्ध झूठा मुकदमा लगा दिया है। अभियुक्तगण ने कमलेश के पिता की कोई मारपीट नहीं की। इस प्रकार से यह साक्षी अभियोजन के मामले का पूर्णतः विरोध करती है।

11. प्रकरण में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि फरियादी एवं आहत ने घटना की दिनांक 24.02.12 बताई है। इसी प्रकार से सरोज ब0सा0 1 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में अभिकथित घटना दि0 24.02.12 को उसे घर से निकाल देने की घटना के रूप में बताया है और इसके बाद अभियुक्त राजकुमार से सरोज द्वारा शादी कर लिए जाने की बात बताई गयी है। यहां उल्लेखनीय है कि फरियादी कमलेश अ0सा0 2 एवं आहत नादरी अ0सा0 1 तथा साक्षी रैनाबाई अ0सा0 3 को प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया कि उन्होंने सरोज ब0सा0 1 को अभिकथित दिनांक 24.02.12 को पहने हुए कपड़ों में घर से निकाल दिया था, न ही ऐसा कोई सुझाव दिया गया कि सरोज इसके बाद अपनी मर्जी से राजकुमार के साथ रहने लगी, बल्कि इसके विपरीत भिन्न बचाव लेते हुए यह सुझाव दिया गया कि फरियादी कमलेश ने अभियुक्तगण की माँ लोंगाबाई का मकान छुड़ा लिया था और उसे घर से बाहर निकाल दिया था, यही सुझाव तीनों अभियोजन साक्षियों को दिया गया। रैनाबाई अ0सा0 3 को प्रतिपरीक्षण में यह भी सुझाव दिया गया कि फरियादी पक्ष ने लोंगाबाई के मकान पर कब्जा कराके निवास कर रहे हैं, जिसे साक्षी ने अस्वीकार किया। अभिलेख पर ऐसी कोई रिपोर्ट, शिकायत

अथवा न्यायालय की कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की गयी है जो कि अभिकथित लोंगाबाई को फरियादी कमलेश व उसके पिता नादरी द्वारा जबरन घर से निष्कासित कर देने और कब्जा कर लेने की अभिपुष्टि करती हो। इस प्रकार से अभियुक्तगण का बचाव विश्वास योग्य नहीं पाया जाता है।

12. प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है एवं फरियादी व आहत की अभिसाक्ष्य विरोधाभासी होकर विश्वसनीय नहीं हैं। यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि अभियोजन साक्षियों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि मामले में साक्षियों की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण हैं। साक्ष्य में उत्पन्न सूक्ष्म विरोधाभासों के आधार पर आहत नादरी प्रसाद को दिनांक 24.02.12 को कारित चोट की सत्यता संदिग्ध नहीं हो जाती है। आहत साक्षी की अभिसाक्ष्य के संबंध में न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत **Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259** की ओर आकर्षित होता है जिसमें मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में अभिनिर्धारित किया कि -

Injured witness - Testimony of - Reliability - Presence of injured witness on spot, not doubtful - Graphic description of entire incident given by him - Must be given due weightage - His deposition corroborated by evidence of other eye witnesses - Cannot be brushed aside merely because of some trivial contradictions and omission therein.

इसके अतिरिक्त मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में न्यायदृष्टांत **Bhajan Singh alias Harbhajan Singh and Ors v. State of Haryana AIR 2011 SC 2552 : (2011)7 SCC 421** भी उल्लेखनीय हैं जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा 21 में आहत साक्षी के संबंध में निम्नानुसार अभिव्यक्त किया-

“21. The evidence of the stamped witness must be given due weightage as his presence on the place of occurrence cannot be doubted. His statement is generally considered to be very reliable and it is unlikely that he has spared the actual assailant in order to falsely implicate someone else. The testimony of an injured witness has its own relevancy and efficacy as he has sustained injuries at the time and place of occurrence and this lends support to his testimony that he was present at the time of occurrence. Thus, the testimony of an injured witness is accorded a special status in law. Such a witness comes with a built-in guarantee of his presence at the scene of the crime and is unlikely to spare his actual assailant(s) in order to falsely implicate someone. "Convincing evidence is required to discredit an injured witness". Thus, the evidence of an injured witness should be relied upon unless there are grounds for the rejection of his evidence on the basis of major contradictions and discrepancies therein. (Vide: Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259 : (AIR 2011

SC (Cri) 964 : 2010 AIR SCW 5701); Kailas and Ors. v. State of Maharashtra, (2011) 1 SCC 793 : (AIR 2011 SC 598); Durbal v. State of Uttar Pradesh, (2011) 2 SCC 676 : (AIR 2011 SC 795 : 2011 AIR SCW 856); and State of U.P. v. Naresh and Ors., (2011) 4 SCC 324 : (AIR 2011 SC (Cri) 761 : 2011 AIR SCW 1877)). **Resently Followed in :- Narender Singh and others v. State of Madhya Pradesh 2015(11) SCALE 557 : JT 2015 (9) SC 435”**

13. जहां तक फरियादी के कथन में विरोधाभास का तर्क प्रस्तुत किया है तो उसके कथन में कथित विरोधाभास सूक्ष्म प्रकृति के हैं। न्यायदृष्टांत योगेशसिंह विरुद्ध महावीरसिंह व अन्य एआईआर 2016 एस0सी0-5160 : जे0टी0 2016 (10) एस0सी0 332 : 2016 (4) सीसीएससी 1876 की कण्डिका 29 में मान0 सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि “विधि में सुस्थापित है कि कुछ असंगतताओं को महत्व प्रदान नहीं किया जाना चाहिए और साक्ष्य पर विश्वसनीयता के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। परीक्षण यह है कि क्या वह न्यायालय के मस्तिष्क में विश्वास उत्पन्न करता है। यदि साक्ष्य असाधारण है और प्रज्ञा के परीक्षण के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है तो वह अभियोजन कथन में कमी सृजित कर सकता है। यदि कोई लोप या असंगतता मामले की तह तक जाती है और विषमताओं को प्रविष्ट करती है, तो प्रतिरक्षा ऐसी असंगतियों का लाभ ग्रहण कर सकता है। यह अभिकथित करने के लिए किसी विशेष प्रबलता की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक लोप तात्विक लोप का स्थान नहीं ले सकता इसलिए कुछ असंगतियां, विषमताएं या महत्वहीन अलंकरण अभियोजन के मामले के मूल को प्रभावित नहीं करते और अभियोजन साक्ष्य को नामंजूर करने के लिए आधार रूप में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। लोप को साक्षी की विश्वसनीयता या विश्वास योग्यता के बारे में गंभीर संदेह सृजित करना चाहिए। केवल गंभीर पारस्परिक विरोध और लोप ही, तात्विक रूप से अभियोजन के मामले को प्रभावित करते हैं किन्तु प्रत्येक परस्पर विरोध या लोप नहीं।” इस मामले में फरियादी कमलेश अ0सा0 2, अहत नादरी अ0सा0 1 तथा साक्षी रेनाबाई अ0सा0 3 की साक्ष्य पर न्यायालय के समक्ष अविश्वास हेतु युक्तियुक्त कारण मौजूद नहीं हैं।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 24.02.12 को 9 बजे या उसके लगभग इंदिरा कालोनी पीला गढा ग्राम विरखडी स्थित फरियादी कमलेश कुशवाह के घर के आगे सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी कमलेश के पिता नादरी प्रसाद की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में रामबाबू ने डण्डे से नादरी की मारपीट कर उसे स्वेच्छा उपहति कारित की तथा शेष अभियुक्तगण ने उसका सहयोग किया। अतः अभियुक्त रामबाबू को संहिता



की धारा 325 एवं अभियुक्त राजकुमार व सुक्खी को संहिता की धारा 325/34 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है।

15. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उन्हें अभिरक्षा में लिया गया।

16. अभियुक्तगण के स्वेच्छिक अपराध को देखते हुए एवं उसकी परिपक्व आयु को देखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)

#### पुनश्च:

17. अभियुक्तगण एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्तगण की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्तगण के ग्रामीण मजदूर कृषक होने के आधार पर कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

18. अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं किन्तु साथ ही उसकी परिपक्व आयु एवं आहत/फरियादी को स्वेच्छा मारपीट कर घोर उपहति कारित करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है। साथ ही अभियुक्तगण एवं आहत का परस्पर रिश्तेदार होना एवं प्रकरण के 5 वर्ष से लंबित होने का तथ्य भी विचार में रखे जाने के योग्य है। अतः **अभियुक्त रामबाबू को संहिता की धारा 325 के अधीन कमशः 6 माह के सश्रम कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड समानतः अन्य अभियुक्तगण राजकुमार व सुक्खी को भी संहिता की धारा 325/34 के अधीन कमशः 6-6 माह के सश्रम कारावास व 500-500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्तगण को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावे।**

19. अभियुक्तगण से अर्थदण्ड के रूप में बसूली गयी राशि में से फरियादी/आहत नादरी प्रसाद पुत्र भोगीराम कुशवाह निवासी ग्राम विरखडी पीलागढा थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड को हुई क्षति या हानि के प्रतिकर के रूप में दफ़्त की धारा 357-1 ख के अधीन 1000/-रुपये (एक हजार रुपये) आवेदन करने पर विधि अनुसार प्रदान किये जावें।

20. प्रकरण में जब्त शुदा संपत्ति कुछ नहीं।

21. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्तगण को प्रदान की जावे।



22. अभियुक्तगण की निरोधावधि कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।  
कर घोषित किया गया।

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश